किसी राज्य विशेष को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। राज्य कोयला नियंत्रकों और केन्द्रीय प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित कोयला संचलन को अधिमान्य यातायात अनुसूची की मद "ग" के अधीन प्राथमिकता दी जाती है। कोयले के संचलन का और विभाजन करके तीन विभिन्न प्राथमिकता ग्रुपों में रखा गया है। महत्व के अनुसार प्रथम प्राथमिकता ग्रुप में रेलवे, बिजली घर, इस्पात कारखाने, कोयला धुलाई कारखाने, नौ परिवहन और निर्यात आदि हैं। दूसरे प्राथमिकता ग्रुप में सभी उद्योग आते हैं। महत्व के अनुसार अंतिम ग्रुप में सड़क निर्माण अथवा ईंट के भट्टों के लिए स्लैक कोयला, घरेलू उपयोग के लिए शाफ्ट कोयला तथा उद्योगों के लिए हार्ड कोक शामिल है। कोयला उत्पादन यूनिटों द्वारा परेषण के लिए प्रस्तुत सभी कोयले का रेलों द्वारा उपभोक्ताओं के प्रत्येक ग्रुप के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तिमाही के आधार पर निर्धारित ढुलाई लक्ष्यों के अनुसार वितरण कर दिया जाता है।

(ग) इस समय जिस कोयले की ढुलाई सड़क द्वारा की जा रही है उसका अक्तूबर, 1983 के अन्त तक रेल द्वारा परिवहन करने के लिये रेल परिवहन की उपलब्ध क्षमता पर्याप्त है बशर्ते कि कोयले का लदान करने वाली कंपनियों द्वारा इस प्रकार के कोयले का खान मुखों से रेल मुखों तक परिवहन करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर दिये जायें। यह मालूम हुआ है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में रेल द्वारा कोयले की अधिकतम ढुलाई करने के उद्देश्य से कुछ समय के लिए सड़क द्वारा ढुलाई न करने का निर्णय किया है। लेकिन दिसम्बर से मार्च तक के व्यस्त मौसम वाले महीनों में कम दूरी के लिए संचलन फिर से सड़क द्वारा करना पड़ेगा।

Utilisation of River Jhelum for Navigational purposes

1951. **PROF. SAIF-UD-DIN SOZ** : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government propose to harness alternative sources of transport to overcome the shortage of motor oil ; and

(b) if so, whether Government propose to use the age old vetasta River (Jhelum) for navigational purposes from Khanabal to Khadanyar ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI Z.R. ANSARI) : (a) and (b) In the context of high cost of fuel and the need for its conservation, development of Inland Water Transport has assumed an added significance. Government of India are fully conscious of the need for accelerated development of Inland Water Transport where such potential exists. This may be evident from the provision of Rs. 45/- crores in the current five year plan.

A Centrally Sponsored Scheme entitled, introduction of mechanised IWT services on the river Jhelum between Khanabal and Baramullah was sanctioned on 8-5-73 at a cost of Rs. 54.50 lakhs. The scheme so far has not been completed by the State Govt. Sanctioned amount had already been released to the State Govt.

Meanwhile, the Govt. of Jammu and Kashmir have proposed a new scheme for the construction of Ningli Navigation Lock-cum-Control structure with the primary object of introducing Inland Water Transport in Jhelum river. Technical clearance to this proposal costing Rs. 1674 lakhs, has been given on 17.11.81 subject to the condition that the above mentioned ongoing Centrally Sponsored Scheme would be merged with the present scheme as both are having the same objectives and that there will be no financial commitment in respect of the new Scheme.

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश न देना

1952. **श्री मनी राम बागड़ी**
श्री जगपाल सिंह } : क्या

शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1983 के हिन्दुस्तान में पृष्ठ 3 पर तेरह हजार